

कार्यालय- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर  
संशोधित रिमाण्ड ड्यूटी आदेश माह अगस्त, 2024

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 15 (2) एवं 410 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुझ डॉ० लेखपाल शर्मा, आर.जे.एस, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर द्वारा माह अगस्त, 2024 के पूर्व में इस कार्यालय द्वारा जारी रिमाण्ड ड्यूटी आदेश क्रमांक-316 दिनांक 02.08.2024 में निम्नानुसार दिनाकों में संशोधन करते हुए आदेश पारित किया जाता है।

जैसलमेर मुख्यालय हेतु-

| दिनांक                                 | न्यायालय का नाम  |
|--|--|
| 09.08.2024<br>10.08.2024<br>11.08.2024 | श्री गजेंद्र कुमार,<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट,<br>जैसलमेर              |
| 18.08.2024<br>19.08.2024               | श्री सौभाग्य सिंह चारण,<br>अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट,<br>जैसलमेर |

क्रमांक: 336(mail)

दिनांक: 08/8/2024

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है -

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जैसलमेर।
2. जिला पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि सभी आरक्षी केन्द्रों के थानाधिकारियों को जेसी/पीसी रिमांड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्यों के लिये उपर्युक्त तिथियों में नियत समयावधि में पहुंचने के लिये सूचित करें।
3. जिला आबकारी अधिकारी, जैसलमेर को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि जिले में कार्यरत वृत्त निरीक्षक/प्रहराधिकारी/प्रभारी अधिकारी आबकारी थाना को जेसी/पीसी रिमांड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्यों के लिये उपर्युक्त तिथियों में नियत समयावधि में पहुंचने के लिये सूचित करें।
4. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पोकरण।
5. न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर।
6. अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर।
7. न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, सांकड़ा, मुख्यालय पोकरण।
8. सहायक निदेशक अभियोजन, जैसलमेर।
9. पुलिस कंट्रोल रूम, जैसलमेर।
10. अध्यक्ष अभिभाषक परिषद, जैसलमेर।
11. उपकारागृह, जैसलमेर।
12. प्रभारी अधिकारी वायरलेस, जैसलमेर को प्रतिलिपि भेजकर लेख है कि इस मैसेज को सभी आरक्षी केन्द्रों को सूचित करें।
13. सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा, जैसलमेर को प्रतिलिपि भेजकर लेख है कि वह इस मैसेज को जिला न्यायालय की बेबसाइट पर अपलोड करें।
14. कार्यालय प्रति।

  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
जैसलमेर